मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग
वल्लभ भवन, मंत्रालय भोपाल

कमांक F8-2 /2020/नियम/चार भोपाल, दिनांक 6 फरवरी, 2020
प्रति,

शासन के समस्त विभाग
मध्यप्रदेश।

विषय :- शासकीय सेवा में कार्यरत सीधी भर्ती से, नियुक्ति उपरान्त स्थायीकरण होने पर शासकीय सेवकों के उच्च पद पर वेतन निर्धारण।

***

शासकीय सेवा में सीधी भर्ती से नियुक्तों के वेतन निर्धारण के लिए म.प्र. मूलभूत नियम 22 सी का प्रावधान निम्नानुसार है:- **मूलभूत नियम 22-सी(1)** "इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, निम्न प्रावधानों के अन्तर्गत उस शासकीय सेवक का वेतन शासित होगा, जो किसी अन्य सेवा या संवर्ग में परिवीक्षाधीन के रूप में नियुक्त किया गया है, तथा बाद में उसी सेवा या संवर्ग से स्थाई कर दिया जाता है:-

(अ) परिवीक्षाकाल में यह वेतनमान का न्यूनतम प्राप्त करेगा अथवा सेवा या संवर्ग के समयमान की परिवीक्षाधीन अवस्था का वेतन, जैसी भी स्थिति हो-

परन्तु यह कि यदि स्थायी पद का काल्पनिक वेतन (पदावधि पद को छोड़कर) जिस पर वह धारणाधिकार रखता है अथवा धारणधिकार बनाये रखता यदि उसका धारणाधिकार निलम्बित नहीं किया गया होता, किसी भी समय इन नियम के अंतर्गत निर्धारित वेतन की तुलना में बढ़ता है, तो वह उस स्थाई पद का काल्पनिक वेतन प्राप्त करेगा,

(ब) परिवीक्षाकाल की समाप्ति पर जब वह सेवा या पद पर स्थायी किया जाता है, तब शासकीय सेवक का वेतन, उस सेवा या पद को लागू समयमान में मूल नियम 22 अथवा 22-डी के अंतर्गत, जैसी भी स्थिति हो, नियत किया जायेगा :

परन्तु यदि शासकीय सेवक पूर्व पद पर अस्थाई रहते हुए वेतन आहरित कर रहा था तो इसका इस प्रकार से मूल नियम–(22 या 22–डी के प्रावधानों के अनुसार वेतन निर्धारण नहीं होगा तथा वह पद या सेवा के समयमान वेतन आहरित करता रहेगा।

2. उपर्युक्त नियम के उप नियम (1) (ब) के अन्तर्गत वेतन निर्धारण पदोन्नति पर वेतन निर्धारण के सिद्धान्तों के अनुरूप किया जाता है। पदोन्नति पर वेतन निर्धारण के लिए वित्त विभाग के परिपत्र कमांक डी 386/684/87/नि–1/चार दिनांक 25–07–1987 के अनुसार विकल्प की सुविधा है परन्तु उप नियम (1) (ब) के अन्तर्गत वेतन निर्धारण के लिए विकल्प की सुविधा के संबंध में सुस्पष्ट निर्देश नहीं है।

3. यह समक्ष में आया है कि ऐसे शासकीय सेवकों का जिनका वेतन निर्धारण 22 सी (1) (ब) के अन्तर्गत होना है, को विकल्प की सुविधा नहीं होने से कनिष्ठ से कम वेतन प्राप्त होने की स्थिति बनती है। अतः यह स्पष्ट किया जाता है कि राज्य शासन के सेवारत जो कि प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से राज्य शासन में ही उच्च वेतनमान के पद पर चयनित हुए है एवं जिनका वेतन निर्धारण मूलभूत नियम 22(सी)(1)(ब) के अन्तर्गत किया जाना है, उन्हें सीधी भर्ती के पद पर वेतन निर्धारण के लिए तिथि चयन का विकल्प दिया जाए।

4. उपर्युक्त अनुसार विकल्प, पूर्व के प्रकरणों में इस स्पष्टीकरण के जारी होने के दिनांक से एक माह की समय–सीमा में तथा आगामी प्रकरणों में परिवीक्षा अवधि समाप्ति के एक माह की समयसीमा में दिया जाना होगा। एक बार दिया गया विकल्प अंतिम होगा। विकल्प प्राप्त नहीं होने पर सीधी भर्ती के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से ही वेतन निर्धारण किया जाएगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(अजय चौबे)
उप सचिव
म0प्र0शासन,वित्त विभाग

पृष्ठा.कमांक F 8-2 ../2020/नियम/चार भोपाल, दिनांक 6 फरवरी, 2020

प्रतिलिपिः–

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधान सभा भोपाल
3. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर
4. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय भोपाल
5. सचिव, लोक सेवा आयोग इंदौर
6. सचिव, लोक आयुक्त मध्यप्रदेश भोपाल
7. निज सचिव/निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश भोपाल
9. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग मध्यप्रदेश भोपाल
10. रजिस्ट्रार म.प्र. राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल/जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर
11. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर
12. महालेखाकार (लेखा और हकदारी/आडिट) 1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल
13. अध्यक्ष व्यवसायिक परीक्षा मंडल/माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल
14. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल
15. आयुक्त कोष एवं लेखा मध्यप्रदेश
16. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
17. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी) मंत्रालय भोपाल
18. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय भोपाल
19. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश
20. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
21. संयुक्त संचालक, जनसम्पर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय भोपाल
22. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति कक्ष–2, मंत्रालय भोपाल
23. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन/संघो
24. सभी कोषालय अधिकारी/उप कोषालय अधिकारी
25. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित।

उप सचिव

म.प्र.शासन,वित्त विभाग

Rule-394